कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एवं
जिला परियोजना कार्यालय
जनपद–बलरामपुर।

दूरभाष :–05262 – 234360, 9453004133,
e-mail : mis.balrampur@gmail.com

समग्र शिक्षा

पत्रांकःबे0शि0 / सत्र परीक्षा / 0208-12 / 2025–26 दिनांकः 13 जनवरी 2026

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद–बलरामपुर।

विषयः– परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में द्वितीय सत्र परीक्षा का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशक के पत्रांकः शि०नि०(बे०) / नियोजन / 4932–5027 / 2025–26 दिनांकः 06 मई, 2025 एवं शिक्षा निदेशक उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांकः शि०नि०(बे०) / नियोजन / 58249–343 / 2025–26 दिनांकः 08.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को कक्षावार मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में व शैक्षिक सत्र 2025–26 में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के द्वितीय सत्रीय परीक्षा का आयोजन कराये जाने के निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :–

1. द्वितीय सत्रीय परीक्षा का आयोजन दिनांकः 24 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 के मध्य कराया जायेगा। निदेशालय के उक्त पत्र दिनांकः 06 मई, 2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षावार मासिक पाठ्यक्रम के विभाजन के अनुसार माह दिसम्बर तक पूर्ण कराये गये पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्नों को प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार कराते हुए विद्यालय स्तर पर परीक्षा का आयोजन कराया जायेगा ।
2. मूल्यांकन कक्षा अध्यापक / विषय अध्यापक द्वारा किया जायेगा। सत्रीय परीक्षा एवं मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जायेंगे।
3. परीक्षा पर होने वाले आवश्यक व्यय का वहन विद्यालय में उपलब्ध कंपोजिट ग्रांट से किया जायेगा।
4. सत्रीय परीक्षा के अनुश्रवण एवं सफल क्रियान्वयन का विद्यालय स्तर पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक एवं कार्यरत शिक्षक तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।
5. परीक्षा के उपरान्त निर्धारित तिथि को अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बच्चों की प्रगति साझा करते हुए परीक्षाफल से अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा।
6. सत्रीय परीक्षा के आधार पर अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले छात्र / छात्राओं का अधिगम स्तर सुधारने के लिए उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कक्षा में ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित करते हुए विषय वस्तु की तैयारी, पुनरावृत्ति आदि कराया जायेगा ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि द्वितीय सत्रीय परीक्षा का आयोजन शासनादेश संख्याः 529 / 79–6–2015 दिनांकः 26.06.2015 एवं शासनादेश संख्याः 124 / 79–6–2016 दिनांकः 02.02.2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार सकुशल सम्पादित करायी जाय।

संलग्नकः उक्तवत् ।

(शुभम शुक्ला)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर।

पृ0सं0: उक्तवत्।

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–बलरामपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, जनपद–बलरामपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षणसंस्थान, बलरामपुर।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
5. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर

Scanned with OKEN Scanner